

—: प्रेसनोट :- दि. 02.09.17

शातिर बाईक चोर गिरफ्तार, 02 दर्जन वाहन चोरी की वादरतों को दिया अंजाम, जोधपुर कमीश्नरेट एवं अजमेर शहर में दर्ज है एक दर्जन प्रकरण




पुलिस थाना कोतवाली अजमेर 02, सितम्बर। जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी प्रकरण में वांछित शातिर वाहन चोर सेसड़ा थाना पादुकला, नागौर निवासी सुनिल उर्फ किरण (23) पुत्र श्री जंवरू राम बावरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वाहन चोर सुनिल उर्फ किरण ने शातिर वाहन चोर भाकरराम बावरी के साथ मिलकर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर ने अभियुक्तों भाकरराम बावरी,

सुनिल उर्फ किरण व महावीर के कब्जे से 21 मोटरसाइकिलें बरामद की थी जिसमें प्रकरण का माल मशरूका मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना को प्रकरण में बरामद किया जाकर मुल्जिमान की तलाश की गई। प्रकरण में आरोपी भाकराम बावरी को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया तथा अन्य आरोपी सुनिल उर्फ किरण न्यायालय से जमानत होने के बाद से ही फरार चल रहा था जिसकी तलाश हेतु श्री तेजाराम उपनिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने पूर्व में आरोपी के निवास स्थान सेसडा, नागौर में दबिश दी गई थी मगर आरोपी को भनक लगने से फरार हो गया था, उसके बाद पता चला कि सुनिल मोटरसाइकिल से गिरने से ईलाज हेतु चारभुजा अस्पताल में भर्ती है जिसकी सादा वस्त्र में पुलिसकर्मी तैनात कर निगरानी रखी गई तथा कल शुक्रवार को अस्पताल से रिलीव होने पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है अभियुक्त सुनिल उर्फ किरण के विरुद्ध एक दर्जन बाईक चोरी के प्रकरण दर्ज है, जो अजमेर शहर में थाना कोतवाली व सिविल लाईन्स के 03 प्रकरण में दो साल से वांछित चल रहा था। अभियुक्त के जोधपुर कमीश्नरेट में बाईक चोरी के 06 प्रकरण दर्ज है जिससे पूछताछ की जा रही है।

हुक्का बार दी दबिश



क्र.स.	हुक्का बार का नाम	जिस जगह पर स्थित है	जिसके विरुध कार्यवाही की गई का नाम पता	फोटो
--------	-------------------	---------------------	--	------

1	एलाने लॉन्च व हुक्का बार	हाडी रेस्टोरेन्ट के सामने बलदेव नगर माकड़वाली रोड़ अजमेर	राहुल भाटी उर्फ रोनी पुत्र श्री राकेश भाटी उम्र 21 साल जाति माली नि. हर्षविहार कॉलोनी जयपुर रोड़ अजमेर थाना सिविल लाईन अजमेर	
---	--------------------------	--	--	---

पुलिस थाना_कि गंज अधीक्षक अजमेर द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान अजमेर शहर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस_थानाधिकारी क्रि.गंज ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर श्री राजेश कुमार उनि द्वारा दबिश दी जाकर कार्यवाही की गई ताकि आमजन व युवा वर्ग कें जीवन पर घातक दुष्प्रभाव डालने वाले तम्बाकु युक्त फ्लेवर से निजात मिल सके। थाना क्षेत्र में दिनांक 1.9.17 को निम्नलिखित हुक्का बार पर दबिश दी जाकर हुक्का बार से हुक्के, पाईप व विभिन्न कम्पनीयों के तम्बाकु युक्त फ्लेवर जब्त किये गये एवं प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की थाना क्षेत्र में स्थित अन्य संचालित हुक्का बार पर भी अलग अलग टीमे बनाकर दबिश दी गई जो हुक्का पिलाते हुए नहीं पाये गये एवं कुछ हुक्का बार पूर्व से ही बंद होना पाया गया।

स्थाई वारंटी गिरफ्तार

पुलिस थाना_कि गंज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे स्थाई वारंटी, भगौड़े आदि की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान के दौरान थानाधिकारी क्रि.गंज अजमेर द्वारा करीब 10 वर्षों से फरार चल रहे स्थाई गिरफ्तारी वारंट प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री हरिनारायण जाति गुप्ता उम्र 39 साल निवासी 74 विद्युत नगर थाना सुभाष नगर भीलवाडा को गिरफ्तार किया गया। जो काफी समय से भीलवाड़ा में फरारी काट रहा था मुखवीर

खास की सूचना पर श्री दिनेश चंद कानि. व सुरेश चंद कानि. ने गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया । अभियुक्त के विरुध वर्ष 2007 से चैक बाउंस के प्रकरण में फरारी काट रहा था

ताश पत्ती से जुआ खेलते 2 मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

पुलिस थाना रामगज अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार जुआ सट्टा के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 01.09.17 कोयुनुस अली उनि मय जाप्ता द्वारा कंजर बस्ती रामगज अजमेर पर दबिश देकर ताश पत्ती से जुआ खेल रहे मुल्जिमान 1- श्री सुनिल झा पुत्र श्री नन्दन प्रसाद जाति ब्राह्मण उम्र 45 साल निवासी म0न0 44 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर 2- श्री राधेशाम पुत्र श्री भंवरलाल जाति हरीजन उम्र 28 साल निवासी काबरा कोटडी थाना जवाजा हाल कंजर बस्ती रामगंज अजमेर को गिरफ्तार कर मुल्जिमान के कब्जे से 680 रू व ताश पत्ती जप्त कर मु0न0 242/17 धारा 13 आरपीजीओ मे दर्ज किया गया ।

शांतिभंग के आरोप में तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना गंज द्वारा शांतिभंग के आरोप में 1. ओमप्रकाश पुत्र शिव शंकर जाति साईं उम्र 23 साल निवासी छत्ता थाना शंकरपुर जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) 2. उपेन्द्र पुत्र फोटा जाति नट उम्र 35 साल निवासी रघुनाथपुर थाना बरहानपुर जिला बक्सर (बिहार) 3. फैकूनाथ पुत्र मिठूनाथ जाति नाथ उम्र 45 साल निवासी बडडा चन्द्रा थाना कोयला बाद जिला आरा (बिहार) 4. मेहेन्द्र नाथ को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।



पुलिस थाना_मसूदा मे 1. श्री विजयप्रकाश पुत्र श्री अम्बा लाल जाति भाण्ड उम्र 35 साल निवासी हरराजपुरा थाना मसूदा जिला अजमेर 2. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विष्णु जाति जाट उम्र 24 साल निवासी झीपिया थाना भिनाय अजमेर 3. श्री मोहन पुत्र श्री भंवर जाति मेहरात उम्र 40 साल निवासी चोरसिया थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस थाना अलवर गेट मे 2 वाहन चालको द्वारा नियम विरुद्ध वाहन को नशे पते में चालाते पाये जाने पर 185 एमवी एक्ट में वाहन चालाकों के विरुद्ध कार्यवाही कर वाहनों को जब्त किया गया ।

